सोनभद्र पुलिस

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक- 24.08.2026

Operation Conviction : सोनभद्र पुलिस की प्रभावी पैरवी से दहेज हत्या के अभियोग में अभियुक्त दोषसिद्ध, न्यायालय द्वारा 10 वर्ष के कारावास एवं ₹45,000/- अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ एवं श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, वाराणसी जोन, वाराणसी के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र, मिर्जापुर के कुशल पर्यवेक्षण तथा पुलिस अधीक्षक सोनभद्र **श्री अभिषेक वर्मा** के नेतृत्व में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे **"Operation Conviction"** अभियान के क्रम में थाना पिपरी पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

सोनभद्र पुलिस द्वारा की गई प्रभावी विवेचना, सुदृढ़ साक्ष्य संकलन एवं अभियोजन पक्ष की प्रभावी न्यायालयीन पैरवी के फलस्वरूप **थाना पिपरी पर पंजीकृत धारा 498(ए), 304(बी) भादवि एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम** से सम्बन्धित अभियोग में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध करते हुए विभिन्न धाराओं में सजा एवं **कुल ₹45,000/-** अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियुक्त की सभी सजायें साथ-साथ चलेंगी।

प्रकरण का विवरण-

थाना: पिपरी, जनपद सोनभद्र
मु0अ0सं0: 35/2024
एसटी संख्या: 436/2024
धारा: 498(ए), 304(बी) भादवि एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम

दोषसिद्ध अभियुक्त- अनिल कुमार मौर्य पुत्र सियाराम मौर्य, निवासी चन्दासी, थाना मुगलसराय, जनपद चन्दौली, हाल पता खाड़पाथर, थाना पिपरी, जनपद सोनभद्र।

माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय-

माननीय न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त **अनिल कुमार मौर्य** को—

1. **धारा 498ए भादवि के आरोप में 03 वर्ष के कारावास एवं ₹10,000/- अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया।
2. **धारा 304बी भादवि के आरोप में 10 वर्ष के कारावास एवं ₹30,000/- अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया।
3. **धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के आरोप में 02 वर्ष के कारावास एवं ₹5,000/- अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया।

सजा दिलाने में सराहनीय भूमिका-

उक्त अभियोग में थाना पिपरी पुलिस द्वारा की गई प्रभावी विवेचना, अभियोजन अधिकारी की सशक्त न्यायालयीन पैरवी, कोर्ट मोहर्रिर के समन्वय तथा जनपद मॉनिटरिंग सेल की सतत निगरानी एवं प्रभावी अनुश्रवण के परिणामस्वरूप अभियुक्त को दोषसिद्ध कराते हुए माननीय न्यायालय से प्रभावी सजा सुनिश्चित कराई गई।